

# कार्यालय जिला पंचायत सरगुजा, अम्बिकापुर (छ.ग.)

## (प्रधानमंत्री आवास योजना) (ग्रामीण)

:: आदेश ::

अम्बिकापुर, दिनांक 28/4/2018

क्रमांक / 1281 / स्था. / प्र.म.आ.यो. / जि0पं0 / 2018 :: विकास आयुक्त कार्यालय प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) प्रकोष्ठ, इन्द्रावती भवन, छ0ग0 रायपुर के पत्र क्र. 100/वि-6/प्रमंआयो(ग्रा)/2017 नया रायपुर, दिनांक 09.01.2017 के पालन में प्रतिक्षा सूची से सहायक प्रोग्रामर (संविदा) जिला पंचायत के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अन्य आदेश पर्यन्त निम्नलिखित शर्तों के अधीन एतद् द्वारा संविदा नियुक्ति प्रदान की जाती है :-


क्र	उम्मीदवार का नाम	पिता/पति का नाम	पद का नाम	नियुक्ति का संवर्ग	पत्र व्यवहार का पता	पदस्थापना स्थल
1	2	3	4	5	6	7
1	अंकिता यादव	श्री राजकुमार यादव	सहायक प्रोग्रामर (संविदा)	अनारक्षित	C/o अरुण सिंह, विजली ऑफिस के सामने, गौधीनगर, अम्बिकापुर, जिला सरगुजा (छ0ग0)	जिला पंचायत सरगुजा

### शर्तें

1. यह नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्र.एफ.9-1/2012/1-3 दिनांक 31 दिसम्बर 2012 के अनुसार संविदा नियुक्ति के संबंध में समस्त शर्तें लागू होंगी।
2. यह पद संविदा पद का है, भविष्य में नियमितकरण संबंधी कोई दावा मान्य नहीं होगा।
3. संविदा अवधि में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के तहत अवकाश की पात्रता होगी। इसके अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश देय नहीं होगा।
4. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति छ.ग सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 से शासित होंगे।
5. अधिकारी/कर्मचारी बिना सक्षम अधिकारी के अनुमति/निर्देश/के कोई भी सूचना/जानकारी किसी अन्य व्यक्ति को नहीं देगा। तथा कार्यालय की गोपनीयता भंग नहीं करेगा।
6. संविदा अवधि के दौरान अन्य संस्थाओं में कार्य करने अथवा व्यक्तिगत तौर पर कोई व्यापार करने पर प्रतिबंध होगा।
7. संविदा नियुक्त कर्मचारी का गोपनीय प्रतिवेदन प्रतिवर्ष लिया जावेगा, ताकि आगामी वर्षों के संविदा नियुक्ति नवीनीकरण हेतु मूल्यांकन हो सके।
8. संविदा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में 01 माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
9. सेवा समाप्ति पश्चात संविदा अधिकारी/कर्मचारी के रूप में दी गई सेवा अवधि हेतु किसी प्रकार की पेंशन, उपादान या मृत्यु लाभ आदि की पात्रता नहीं होगी।
10. संविदा पर प्रतिमाह एकमुश्त वेतन रूपये 24765/- (शब्दों में:- चौबिस हजार सात सौ पैंसठ मात्र) की पात्रता होगी।
11. पद की उपलब्धता एवं शासन से पद की निरंतरता प्राप्त होने पर संविदा नियुक्ति 03 वर्ष के लिए होगा।
12. राज्य सरकार की आवश्यकता के आधार पर उपरोक्तानुसार संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की उपयुक्तता का आकलन कर संविदा नियुक्ति की अवधि को एक बार में एक वर्ष के लिए बढ़ाते हुए संविदा नियुक्ति के नवीनीकरण का निर्णय लिया जा सकेगा।
13. कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व मूलभूत नियम 10 के अनुसार पदस्थापना स्थल से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अम्बिकापुर का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र 01 माह के भीतर




- पदस्थापना कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में स्वास्थ्य प्रमाण पत्र अप्राप्त रहने पर संविदा सेवाएं एक पक्षीय रूप से समाप्त कर दी जावेगी।
14. अभ्यर्थी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि अथवा कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व समस्त आवश्यक मूल प्रमाण पत्र जांच हेतु पदस्थापना कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। प्रमाण पत्रों की जांच में किसी प्रकार की असत्यता पाई जाने पर भारतीय दण्ड प्रक्रिया के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जावेगी।
  15. अभ्यर्थी का पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन में किसी प्रकार से दोषी पाये जाने पर यह नियुक्ति आदेश स्वमेव समाप्त माना जावेगा एवं इसके लिए कोई पूर्व सूचना नहीं दी जावेगी।
  16. संविदा शर्तों एवं छ.ग. शासन जिला पंचायत सरगुजा के विनियमों, निर्देशों के प्रतिकूल कार्यवाही करने पर संविदा तत्काल समाप्त की जा सकेगी।
  17. चयनित अभ्यर्थी को दिनांक 07.05.2018 तक कार्यालय जिला पंचायत में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। निर्धारित तिथि तक उपस्थित न होने पर चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति स्वमेव समाप्त हो जावेगी।
  18. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत जिले के सहायक प्रोग्रामर पद पर पूर्ण में नियुक्त अभ्यर्थी श्रीमती मीनू पाण्डेय के द्वारा सेवा समाप्ति के विरुद्ध उच्च न्यायालय (छ.ग.) बिलासपुर में याचिका क्रमांक W.P. (S) No. 794/2018 दायर की गयी है। अतः इस याचिका द्वारा मीनू पाण्डेय विरुद्ध छ.ग. शासन पर भविष्य में प्राप्त निर्णय वर्तमान में नियुक्त अभ्यर्थी के लिए बंधनकारी होगा।

  
 28/5/18  
 मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
 जिला पंचायत सरगुजा

पृ. क्रमांक / 1282 / स्था. / प्र.म.आ.यो. / जि0पं0 / 2018 अम्बिकापुर, दिनांक 28/5/2018  
 प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय रायपुर।
2. विकास आयुक्त, विकास आयुक्त कार्यालय रायपुर।
3. कलेक्टर, जिला सरगुजा।
4. पुलिस अधिक्षक, जिला सरगुजा।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अम्बिकापुर जिला सरगुजा।
6. जिला रोजगार अधिकारी जिला रोजगार अम्बिकापुर जिला सरगुजा।
7. प्रभारी अधिकारी (प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण) जिला पंचायत सरगुजा को सूचनार्थ।
8. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, अम्बिकापुर जिला सरगुजा को सूचनार्थ।  
जिले की वेबसाईट [www.surguja.nic.in](http://www.surguja.nic.in) में अपलोड करने का कष्ट करें।
9. जिला जनसम्पर्क कार्यालय अम्बिकापुर।
10. संबंधित अंकिता यादव पिता श्री राजकुमार यादव, C/o अरूण सिंह, बिजली ऑफिस के सामने, गाँधीनगर, अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा (छ0ग0) को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

  
 मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
 जिला पंचायत सरगुजा